भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: †919

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चम्बा में चिकित्सा महाविद्यालय

†919. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में बनाए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालयों की विस्तृत स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है और कितना कार्य अभी पूरा किया जाना शेष है;

(ग) शेष कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) अब तक स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है। इस योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 मेडिकल कॉलेजों को तीन चरणों में मंजूरी दी गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के चंबा, हमीरपुर और नाहन में 03 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। सभी तीनों मेडिकल कॉलेज

कार्यशील हैं। साथ ही, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों की योजना, क्रियान्वयन और कमीशनिंग का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

वर्ष 2015 में योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी), चंबा को 189 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाना है। हिमाचल प्रदेश को 170.10 करोड़ रुपए का पूरा केंद्रीय अंशदान जारी किया जा चुका है। यह कॉलेज वर्ष 2017 में 100 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ कार्यशील हुआ। इसके अलावा, एमबीबीएस (यूजी) सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए सीएसएस के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे में 20 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए जीएमसी, चंबा को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। अब, इस कॉलेज की प्रवेश क्षमता 120 एमबीबीएस सीटें है।

*****